संख्या– 467 / सत्रह–म–2006–11–1–म(2) / 06

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन
विशेष सचिव
उत्तर–प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक मत्स्य
   उ0प्र0, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग                                   लखनऊ  दिनांक 07 फरवरी, 2006

विषयः– मछुआ आवास योजनान्तर्गत लाभार्थियों की सूची के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रसंख्या 87 / नि0शा0 / 16–22(9), दिनांक 03 फरवरी, 2006 के संदर्भ में शासनादेश संख्या–1075 / सत्रह–म–2003–10–1(30) / 95, दिनांक 21 अप्रैल,2003 को शिथिल करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मछुआ आवास योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य जनपदों में मछुआ आवास के ग्रामों की सूची शासन को अवलोकित करायी जायेगी, परन्तु चूंकि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में कराया जाता है तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी समय–समय पर अनुश्रवित करते रहते है, अतएव मछुआ आवास के लाभार्थियों की सूची शासन द्वारा अनुमोदित कराये जाने के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाता है तथा जनपदवार, ग्रामवार लाभार्थी की सूची अब मण्डलीय उप निदेशक, मत्स्य केवल निदेशक, मत्स्य को सूचनार्थ प्रेषित करेंगे। यदि शासन से अनुमोदित ग्रामों की सूची में किसी प्रकार की विचलन की स्थिति पैदा होती है तो ग्रामों की सूची में परिवर्तन हेतु शासरन का अनुमोदन आवश्यक होगा। तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0 /
( जी0के0 टण्डन )
विशेष सचिव